

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-35/2024-
प्रेषक,

4790 व०प०, राँची, दिनांक- 17/12/2024

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।
सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड,
मुख्यालय, हरमू चौक, राँची-834002.

**विषय :- 132 K.V. D/C छतरपुर से जपला तक ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल-23.2676 हे० वनभूमि
अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-834 दिनांक-10.09.2024 एवं पत्रांक-959 दिनांक-24.10.2024 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित 23.2676 हे० वनभूमि के NPV की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
- (3) प्रस्तावित वनभूमि के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु मेदिनीनगर वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा-अकौनी में चिन्हित 46.5352 हे० अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (4) CWLW के मंतव्य में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (5) स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (6) FRA, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

17/12/2024

(जलज कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-35/2024- 4790 व०प०, राँची, दिनांक- 17/12/2024

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-11003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०-यथोक्त।

17/12/2024

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-35/2024- 4790 व०प०, राँची, दिनांक- 17/12/2024

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/वरीय प्रबंधक कार्यालय, संचरण प्रमंडल, डाल्टनगंज, 132/33 K.V. ग्रिड परिसर सुदना, डाल्टनगंज-822102 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/2024

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 23.2676 ha of Forest Land for construction of 132 KV D/C Chhatarpur to Japla Transmission Line under Medininagar Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for Diversion of 23.2676 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no-~~4790~~--- dated-~~17/12/2024~~


16/12/24
Rajdeep Sanjay Lal John

Special Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi